11.06.2024:—पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव वकील की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अनुसार निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे तहसीलदार राजस्व हनुहमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़